

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प038(65)चिस्वा/2/प्रथम अपील/17

जयपुर, दिनांक

29-8-17

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
निदेशक(जनस्वा0)
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज0, जयपुर।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री सुशील कम्बामपति, गुडगांव (हरियाणा) द्वारा दायर प्रथम अपील में सुनवाई करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री सुशील कम्बामपति, गुडगांव (हरियाणा) से प्राप्त प्रथम अपील दिनांक 14.08.17 (इस विभाग में दिनांक 23.08.17 को प्राप्त) के संबंध में लेख है कि प्रार्थी ने अपने आवेदन दिनांक 25.04.17 द्वारा जो सूचना चाही है वह सूचना निदेशक (जनस्वा0), निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0 जयपुर से संबंधित है जिसमें सुनवाई का अधिकार प्रथम अपीलीय अधिकारी निदेशक (जनस्वा0), निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0 जयपुर को प्राप्त है।

अतः उक्त प्रथम अपील मूल ही मय संलग्नकों के आपको संलग्न प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि उक्त प्रथम अपील में सुनवाई संबंधी कार्यवाही अपने स्तर पर ही सम्पादित करावें।


संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

- E -

शासन उप सचिव
(समन्वय)

प्रतिलिपि :- श्री सुशील कम्बामपति, व्हाईट रेन कन्टेन्ट एण्ड सर्विसेज, QWID9RQB-6th Floor, जे0एम0डी0 रेजेन्ट स्कवायर, एम0जी0 रोड, गुडगांव-122002 (हरियाणा) को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में आगामी पत्राचार प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं निदेशक (जनस्वा0), निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0 जयपुर से ही करें


अनुभागाधिकारी
(आर.टी.आई.)